

# कार्यालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

## विधिक सेवा समिति इंदौर

### आवश्यक सूचना

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दिनांक 02.07.2021 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरणों में सुलह समझौते की वार्ता हेतु आयोजित वर्चुअल प्री-सिटिंग बैठक अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है ।

समस्त दावेदार पक्षकारों के अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वह संबंधित बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं अधिवक्तागण से सामंजस्य स्थापित कर सुलह समझौते की वार्ता करें तथा समझौते के डाकेट यथाशीघ्र उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि उपरोक्त प्रकरणों को लोक अदालत में निराकरण हेतु रखवाया जा सके ।

दिनांक- 02.07.2021

(एम.के. शर्मा)

ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार

वास्ते-प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव  
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

खण्डपीठ इंदौर